तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.59/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
30.9.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी सुरेश चौधरी पुत्र गमनाराम चौधरी, निवासी– चौधरी वास, सिन्दरली, तहसील– बाली, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म महाकाली रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाईवे 62, बायपास, पालडी एम, तह. शिवगंज, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 15.2.2022 को फर्म महाकाली रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाईवे 62, बायपास, पालडी एम, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सुरेश चौधरी पुत्र गमनाराम चौधरी, निवासी– चौधरी वास, सिन्दरली, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-1704 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./519/Act/2022/520 दिनांक 28.2.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 23.9.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के वकील की बहस सुनी गई, जिन्होंनें बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित नही की है एवं न ही मौके पर कोई कार्यवाही सम्पादित की गई है। केवल खाली प्रपत्रों पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। यह कि प्रतिवादी, उक्त होटल महाकाली में नौकरी करता था वह होटल का मालिक नही है। प्रतिवादी को नमूनें के जांच रिपोर्ट की प्रति नही भेजी है, जिससे द्वितीय नमूना भाग की रेफरल लेब से पुनः जांच कराने के अधिकार से प्रतिवादी वंचित रहा है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन खारिज किया जावे। हमनें पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 15.2.2022 को दौराने गश्त समय 12.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म महाकाली रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाईवे 62, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी सुरेश चौधरी पुत्र गमनाराम जी चौधरी, निवासी– सिन्दरली, तहसील– बाली, जिला– पाली उपस्थित मिले। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म महाकाली ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट (भाग०) सिरोही

अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:05:38 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.59/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	हाईवे 62, पालडी एम. के निरीक्षण के दौरान महाकाली होटल के अन्दर आमजन के खाद्य सामग्री बनाने हेतु रखे हएु खाद्य पदार्थ पनीर के तीन किलोग्राम के प्लेन पैकेट में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता सुरेश चौधरी को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने होटल के अन्दर रखें तीन किलोग्राम पनीर के प्लेन पैकेट में से एक किलोग्राम पनीर को एक साफ, खाली, सूखे भिगोनें में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 300/– (अक्षरे रुपये तीन सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता सुरेश चौधरी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1704, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता सुरेश चौधरी एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा दलीप सिंह यादव स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने प्रतिवादी विक्रेता एवं गवाह को चार साफ, खाली, सूखी शीशीयां दिखाकर खरीदशुदा पनीर को इन चारों शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों शीशीयों में फार्मेलीन की 20–20 बूंदे डालकर चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बंद करके प्रत्येक शीशी पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1704 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता सुरेश चौधरी, उक्त गवाह व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 16.2.2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना .....लगातार	

मुसि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:05:38 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.59/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 15.2.2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म महाकाली होटल, नेशनल हाईवे 62, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सुरेश चौधरी पुत्र गमनाराम जी चौधरी से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-1704 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./519/Act/2024/520 दिनांक 28.2.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-1704 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सुरेश चौधरी पुत्र गमनाराम जी चौधरी, निवासी– चौधरी वास, सिन्दरली, तहसील– बाली, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महाकाली रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाईवे 62, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विंक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी सुरेश चौधरी पुत्र गमनाराम जी चौधरी, निवासी– चौधरी वास, सिन्दरली, तहसील– बाली, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म महाकाली रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाईवे 62, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 40,000/– (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 06.11.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला)	

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:05:38 IST
Reason: SelfAttested